न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 24/2009

जीसीएमएस नम्बरः 2012/00041

Rel

अपीलार्थीः–

जितेन्द्र कच्छवाहा पुत्र श्री भजनसिह जी जाति माली निवासी–सिधीयों की गली, सुरसागर जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगणः–

1. ताराचन्द पुत्र श्री रामदयाल जी जाति माली निवासी– सिधीयों की गली, सुरसागर जोधपुर
2. रामेश्वर पुत्र पुखराज जी जाति माली निवासी–' विधाशाला के पास, जोधपुर
3. खनिज अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलार्थी– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित
2. अधिवक्ता प्रत्यर्थी स0 1 व 2 – श्री अक्षय कुमार दवे, डॉ. संजना धाणदिया, श्रीमती रेणु बोहरा

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

//निर्णय// दिनांक : 20/4/26

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राजस्व अ0 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की है कि खसरा नं0 793/5 ग्राम बागा की भूमि मे से 100 गुणा 300 फीट की आखली प्रतिहजार वर्गफुट का किराया 3/– रूपये सालाना से प्रत्यर्थी ताराचन्द व रामेश्वर को दिनांक 6–1–1975 को किराये पर दी गई थी। जो आखली खान सं0 322 पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा किराये पर दी गई जिसके आवंटन के लिए अपीलार्थी द्वारा खनिज विभाग मे आवेदन किया गया, किन्तु आखली आवंटन होने के कारण अपीलार्थी के हक में खान का आवंटन नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश गलत गैर कानूनी व विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त

अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

योग्य है। तहसीलदार को सरकारी भूमि किराये पर देने का अधिकार नही होने के कारण ऐसा आदेश क्षेत्राधिकार विहिन व प्रारम्भतः प्रभावशून्य मात्र है । वादग्रस्त भूमि का क्षेत्र खनिज विभाग का है जिस पर खान संख्या 322 स्थित है। खनिज विभाग की भूमि बाबत आवंटन करने का तहसीलदार को अधिकार नहीं है केवल मात्र 3/– रूपये सालाना किराया भी गलत है। उक्त आदेश राज्य सरकार व खनिज विभाग के हितों के भी पूर्णतया विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा जानकारी के आधार पर अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत करने का कथन करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 6–1–1975 की पालना में ताराचन्द व रामेश्वर को आखली दिये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा फिदूसर मे खान सं0 322 के आवंटन हेतु खनिज विभाग में आवेदन पत्र दिनांक 17–2–09 को प्रस्तुत किया गया जिस पर खनिज अभियन्ता द्वारा दिनांक 16–4–2009 को तहसीलदार द्वारा आखली आवंटन होने के आधार पर खान संख्या 322 के आवंटन में असमर्थता जाहिर की गई। जिस पर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 1–6–09 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिस कारण विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि जिस स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आखली किराये पर दी गई है वह स्थान फिदूसर की खान संख्या 322 है अपीलार्थी द्वारा आवेदन करने के उपरान्त 500/– रूपये की राशि भी जमा करवा दी है। जिस कारण अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है। इस कारण अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन भी किया गया।

प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थिति दर्ज करवाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए खान सं0 322 व 323 के स्थान पर वादग्रस्त आखली स्थित होने के तथ्य से इन्कार किया गया, वादग्रस्त स्थल से वर्ष 1975 में ही हाईटेशन वायर निकल चुके थे, व मुख्य सडक से चिपते हुए यह आखली स्थित होने से खान के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया था तो उसे अब आवंटित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार ही नही था जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने बदनियतिपूर्वक षडयन्त्र के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। प्रत्यर्थीगण विधिवत रूप से मौके पर काबिज है। नियमानुसार व विधि अनुसार वादग्रस्त आखली को खान के रूप में आवंटित किया ही नही जा सकता है। अन्त मे प्रत्यर्थी द्वारा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपीलार्थी को मोजूदा अपील प्रस्तुत करने की कोई लोक्सरटाडाई नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि जिस आखली को अपीलार्थी खान सं0 322 व 323 बता रहे है वह मुख्य सडक से चिपते हुए आई हुई है। ऐसी स्थिति में सडक से चिपते हुए नियमानुसार कोई खान न तो अस्तित्व में रह सकती है न उसमें कोई खनन कार्य किया जा सकता है। वास्तव में खान सं0 322 व 323 के उपर से हाईटेशन लाईन निकल रही है इस कारण सन् 1975 में ही इन आखलियों को खान के रूप में अस्तित्व मे नही माना एवं खान के अस्तित्व को निरस्त कर दिया। नियमानुसार सडक से चिपते हुए 25 मीटर क्षेत्र में खान आवंटित नही की जा सकती है। अपीलार्थी ने मात्र बनावटी रूप से 16–4–09 को अभियन्ता द्वारा उसे खान आवंटित न होने से संबंधी जानकारी देने के तथ्य बताने की बात लिखी है जो सर्वथा गलत है। वास्तव में यह भूमि कभी भी न तो खान के रूप में अस्तित्व मे रही है न ही इसे खान के रूप में उपयेाग व उपभोग किया जा सकता। केवल मात्र रंजिशवश अपील प्रस्तुत की गई है। जिस आखली पर प्रत्यर्थी वर्षो से काबिज है व अन्य आखलियां भी इस क्षेत्र में प्रभावी है खनिज अभियन्ता का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही है अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों की आखलिया भी इस क्षेत्र मे आई हुई है अपीलार्थी हमेशा वर्षो से प्रत्यर्थीगण को कार्य करते देखते आ रहे है जिसे आखली की शुरू से ही जानकारी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि खनन विभाग की है, जिस बाबत आखली आवंटन का तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई अधिकार भी नही है। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन रूप से आखली आंवटित की गई है जो आदेश प्रारंभतः प्रभावशुन्य मात्र है, किराया भी गलत तय किया गया है। अपीलार्थी द्वारा खान सं0 322 के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिस कारण अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है दिनांक 16.4.09 को खनिज अभियन्ता द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाने पर अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 1–6–09 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिस विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं01 के भाई रामनारायण का पौत्र है, जिसके द्वारा पारिवारिक रंजिश

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

के कारण झूठे तथ्यों कें आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। विवादित आखली खान सं0 322 व 323 पर नहीं है जब विवादित आखली मुख्य सडक से चिपते हुए है एवं उस पर हाईटेशन लाईन भी निकली हुई है। जिससे खान का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया था तो उसे अब आवंटित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार ही नही है। प्रत्यर्थीगण विधिवत रूप से काबिज है, नियमानुसार व विधि अनुसार वादग्रस्त आखली को खान के रूप में आवंटित किया ही नहीं जा सकता है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि जिस आखली को अपीलार्थी खान संख्या 322 व 323 बता रहे है वह मुख्य सडक से चिपते हुए आई हुइ है। सडक से चिपते हुए नियमानुसार कोई खान न तो अस्तित्व मे रह सकती है न ही उसमें कोई खनन कार्य किया जा सकता है एवं न ही आखली भी खान के रूप में कभी अस्तिव मे रह सकती है। वर्ष 1975 में ही खान के अस्तित्व को निरस्त कर दिया गया था नियमानुसार सडक से चिपते हुए 25 मीटर क्षेत्र मे खान आवंटित नही की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा केवल मात्र बनावटी रूप से दिनांक 16–4–09 को अभियन्ता द्वारा उसे खान आवंटित न होने संबंधी जानकारी देने के तथ्य को बताने की बात लिखी है वास्तव में वादग्रस्त भूमि कभी भी खान के रूप में नही रही एवं न ही उपयोग व उपभोग किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना प्रदाता खनिज अभियन्ता का शपथपत्र भी पेश नही किया गया है स्वंय अपीलार्थी के सदस्यो की भी आखलिया इस क्षेत्र मे आई हुई है। जिस कारण वर्ष 1975 से ही प्रत्यर्थीगण के हक में आखली आवंटित होने की अपीलार्थी को जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई समुचित एव पर्याप्त कारण भी दर्शित नही किया है। जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही रह जाता है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की ओर से आकृष्ठ करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अपीलार्थी द्वारा मौजूदा अपील दिनांक 16–4–09 की जानकारी होने के आधार पर दिनांक 30–6–09 को प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने की तिथि के अंकन में कांट छांट करते हुए दिनांक 1–5–09 के स्थान पर ऑवर राईटिंग कर दिनांक 1–6–09 की गई है जिस पर किसी भी संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर भी नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 1–5–09 को प्राप्त करने के पश्चात शासकीय दस्तावेज में कांट छांट करते हुए कूटरचना कर न्यायालय हाजा से अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी सद्भाविक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। जिस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

हमने प्रस्तुत अपील में धारा 5 म्याद अधिनियम का जवाब, मय मूल अपील बहस पर मनन किया व उभय पक्षकारान के तर्को के समर्थन में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का निस्तारण करने से पूर्व धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अवगत कराये गये कारण सद्भाविक होने से उक्त धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र राज्यहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में विवादित आखली का आवंटन तहसीलदार जोधपुर द्वारा वर्ष 1975 में किया गया था। इसी क्षेत्र में अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को आखली आवंटन होने के कथनों का कोई खण्डन भी अपीलार्थी द्वारा नही किया गया है। अपीलार्थी के प्रत्यर्थी सं0 1 के भाई रामनारायण का पौत्र होने तथा ताराचन्द एवं रामनारायण के मध्य अनेक न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने के तथ्य से भी अपीलार्थी द्वारा इन्कार नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा खान संख्या 322 के वादग्रस्त स्थल पर स्थित होने एवं उक्त खान के आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध मे भी किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथमतः अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से पीडित एवं प्रभावित पक्षकार होना सिद्ध करने में असफल रहा है। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है लेकिन इस प्रकरण से न्यायालय के यह ध्यान में आया है कि ग्राम फिदूसर के खसरा संख्या 793/5 पर वर्ष 1975 में तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आखली आवंटन किया गया चूंकि आखली की भूमि राज्य सरकार की भूमि है तथा यह न्यायालय राज्य भूमि के सरंक्षण हेत उत्तरदायी है। अतः इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए आखली आवंटन को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तहसीलदार जोधपुर नियमानुसार कानून सम्मत कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 20/5/26 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर (राज०)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर